जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-11.02.2025

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 11.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 09.02.2025 को थाना कैराना पर तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.तसव्वर पुत्र समयदीन निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राकेश गौतम थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री इन्तजार अली थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 दिग्विजय सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

4.का0 विपिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

5.म0का0 स्वाति थाना कैराना जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 11.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस को 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, अभियुक्त अकरम के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त नसीम के कब्जे से 01 अवैध छुरा बरामद हुआ है। अभियुक्तों से बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अकरम पुत्र इसरार निवासी गली नं0 8 सुभाषनगर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

2.नसीम पुत्र शमीम निवासी गली नं0 8 सुभाषनगर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.अवैध 01 छुरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.का0 शेखर सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 11.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.नफीस पुत्र युसुफ निवासी प्रेमनगर 20 फुटा रोड लोनी देहात जनपद गाजियाबाद।

प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 अलग-अलग मामलों में 11 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 21,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2009 में अभियुक्त दिलशाद पुत्र लियाकत निवासी गढीसेवक थाना सदर जनपद पानीपत के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 281/09 धारा 414 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2002 में अभियुक्तगण 1. मुकेश पुत्र मागेंराम निवासी गौशाला रोड थाना कोतवाली शामली 2. सोनू पुत्र मागेंराम निवासी गौशाला रोड थाना कोतवाली शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 213/02 धारा 411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,500-1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 2022 में अभियुक्तगण1. फैय्याज पुत्र लतीफ 2. इरफान पुत्र फैय्याज 3. अरशद उर्फ किल्लू पुत्र याकूब 4. शकील पुत्र हमीद 5. ईमरान पुत्र रईस 6. रिजवान पुत्र मकसूद 7. अहसान पुत्र निसार समस्त निवासीगण गुली छडियान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 73/22 धारा 3 महामारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 2,000-2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4. वर्ष 2024 में अभियुक्त मुनव्वर पुत्र नफीम निवासी गन्दराउ थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 567/2024 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI